

—प्रेस नोट—

जनपद-मीरजापुर दिनांक 09.09.2020

टॉप-10 सूची का शातिर अपराधी थाना अहरौरा पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार —

अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 08.09.2020 को उ0नि0 संजय कुमार सिंह चौकी प्रभारी इमिलिया चट्टी थाना अहरौरा मय हमराह का0 राघवेन्द्र सिंह द्वारा ग्राम खुटहां पर संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, इस दौरान मुखबिर खास की सूचना के आधार पर खुटहा साइफन के पास से समय 20.00 बजे टॉप-10 सूची का शातिर अपराधी धनंजय उर्फ छबिले बहेलिया पुत्र जगदीश निवासी पटिहटा थाना अहरौरा मीरजापुर को 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना अहरौरा पर आर्म्स एक्ट अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को जेल भेजा गया। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना अहरौरा पर 07 अभियोग व 06 एनसीआर पंजीकृत है, पूर्व में अभियुक्त के विरुद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की जा चुकी है।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-44/2009 धारा 323,504,506 भा0द0वि0 थाना अहरौरा मीरजापुर।
2. मु0अ0सं0-226/2009 धारा 323,504 भा0द0वि0 थाना अहरौरा मीरजापुर।
3. मु0अ0सं0-158/2012 धारा 323,504 भा0द0वि0 थाना अहरौरा मीरजापुर।
4. मु0अ0सं0-583/2012 धारा 323,506 भा0द0वि0 थाना अहरौरा मीरजापुर।
5. मु0अ0सं0-114/2014 धारा 323,504 भा0द0वि0 थाना अहरौरा मीरजापुर।
6. मु0अ0सं0-293/2016 धारा 366,376,506 भा0द0वि0 थाना अहरौरा मीरजापुर।
7. मु0अ0सं0-158/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना अहरौरा मीरजापुर।

गिरफ्तार अभियुक्त —

1. धनंजय उर्फ छबिले बहेलिया पुत्र जगदीश निवासी पटिहटा थान अहरौरा मीरजापुर।

बरामदगी विवरण—

1. एक अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस।



2.